



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06052021-226878
CG-MH-E-06052021-226878

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2021/वैशाख 15, 1943

No. 191]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2021/VAISAKHA 15, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 मई, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2021/18.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,-
 1. विनियम 282 में,-

- i. उप-विनियम (3) में, शब्द और चिह्न “संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म)”, शब्दों “इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
 - ii. उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(4) यदि किसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने अपने संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) / संस्थापकों (फाउंडर्स) को एसआर इक्विटी शेयर निर्गमित (जारी / इश्यू) किए हों, तो उस निर्गमकर्ता (इश्युअर) को इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए केवल साधारण शेयरों का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (इनिशियल पब्लिक ऑफर) लाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि इस अध्याय के प्रावधानों का पालन किया जाए और विनियम 6 के उप-विनियम (3) के अनुसार एसआर इक्विटी शेयरों से संबंधित प्रावधानों का सतत् रूप से पालन किया जाए।”
- II. विनियम 283 में, उप-विनियम (1) में,-
- i. शब्द “दो वर्षों”, शब्दों “एक वर्ष” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
 - ii. खंड (II) का लोप हो जाएगा, और मौजूदा खंड (III) तथा (IV) क्रमशः (II) तथा (III) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएंगे।
 - iii. पुनःसंख्यांकित खंड (III) के पश्चात् एक नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(IV) किसी अन्य वर्ग के निवेशक, जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।”
 - iv. शब्दों “अक्रेडिटिड निवेशक”, जहाँ कहीं भी आते हों, के लिए, शब्द “इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म निवेशक” प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
 - v. स्पष्टीकरण (क) के तहत, बिंदु सं. (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(iii) ऐसा कोई कौटुंबिक न्यास (फैमिली ट्रस्ट), जिसकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पच्चीस करोड़ रुपये की हो।”
 - vi. मौजूदा स्पष्टीकरण (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(ख) संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) / संप्रवर्तक समूहों (प्रोमोटर ग्रुप) की ‘निर्गम से पूर्व की पूँजी’ (प्री-इश्यू कैपिटल) [फिर भले ही वे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हों] को विनियम 283 के उप-विनियम (1) के तहत दी हुई 25% ‘निर्गम से पूर्व की पूँजी’ (प्री-इश्यू कैपिटल) संबंधी पात्रता अपेक्षा हेतु नहीं गिना जाएगा।”
- III. विनियम 283 में, उप-विनियम (2) में, शब्द और चिह्न “संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म)”, शब्दों “इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- IV. विनियम 287 में, मौजूदा उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
- “(4) निर्गमकर्ता (इश्युअर), निर्गम (इश्यू) के खुलने से पहले, विनियम 283 के उप-विनियम (1) के तहत यथा निर्धारित पात्र निवेशकों को, निर्गम के आकार (इश्यू साइज़) के साठ प्रतिशत तक का आबंटन विवेकानुसार, अनुसूची-XIII के भाग-क के अनुसार एसएमई एक्सचेंज पर लाए जाने वाले सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के संबंध में एंकर निवेशकों की बाबत दी हुई अपेक्षाओं के अनुरूप कर सकेगा:

परंतु यह कि पात्र निवेशकों को प्रस्तावित 'निर्धारित प्रतिभूतियों' (सिक्क्यूरिटीज़) की कीमत उस कीमत से कम नहीं होगी, जिस कीमत पर अन्य आवेदकों को प्रस्ताव (ऑफर) किया गया हो:

परंतु यह और कि पात्र निवेशक कम से कम पचास लाख रुपये के मूल्य का आवेदन करेंगे।”

V. विनियम 288 में,

i. उप-विनियम (1) में, परंतुक में, खंड (ग) में, शब्द, चिह्न और अंक “प्रवर्ग-I” के पश्चात्, शब्द, चिह्न और अंक “या प्रवर्ग-II” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

ii. उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(5) एसआर इक्विटी शेयर तब तक रुद्ध (लॉक-इन) रहेंगे, जब तक कि उनका संपरिवर्तन (कन्वर्जन) उन इक्विटी शेयरों के रूप में न हो जाए जिनके मताधिकार साधारण शेयरों के मताधिकारों जैसे ही हों या वे उप-विनियम (1) में दी हुई अवधि तक रुद्ध (लॉक-इन) रहेंगे, जो भी बाद में हो।”

VI. विनियम 290 के पश्चात् और विनियम 291 से पूर्व, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“उन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर्स) का निकास (एग्जिट), जिनकी प्रतिभूतियाँ (सिक्क्यूरिटीज़) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (इनिशियल पब्लिक ऑफर) लाए जाने के बाद इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाई गई हों और जिनमें ट्रेडिंग हो रही हो

290क. (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 के प्रावधान, उन विषयों की बाबत जिनके संबंध में इस विनियम के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो या जिन्हें इस विनियम के दायरे से बाहर रखा गया हो, *यथावश्यक परिवर्तन सहित*, इन विनियमों के तहत 'निर्धारित प्रतिभूतियों' की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के संबंध में लागू होंगे:

परंतु यह कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 के निम्नलिखित प्रावधान लागू नहीं होंगे:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 के विनियम 8 [जो “असूचीबद्धता के लिए शर्तें और प्रक्रिया, जहाँ निकास अवसर अपेक्षित है” से संबंधित है] के उप-विनियम (1) के खंड (क) एवं (ख),

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 का विनियम 15 [जो “प्रस्ताव कीमत” (ऑफर प्राइस) से संबंधित है]; और

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 का विनियम 17 [जो “अर्जित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की न्यूनतम संख्या” से संबंधित है]।

(2) जिस निर्गमकर्ता कंपनी (इश्युअर कंपनी) की निर्धारित प्रतिभूतियों में आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (इनिशियल पब्लिक ऑफर) लाए जाने के बाद इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग हो रही हो, वह इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म से निकास (एग्जिट) कर सकेगी, यदि -

(क) ऐसे निकास को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा उसकी बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी जाए;

(ख) ऐसे निकास को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) या ई-वोटिंग के जरिए विशेष संकल्प पारित करके मंजूरी प्रदान कर दी जाए, हालांकि, ऐसे संकल्प (रेज़ोल्यूशन) के संबंध में

शेयरधारकों को भेजे जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में समस्त महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट (डिस्क्लोज़) कर दिए गए हों:

परंतु यह और कि विशेष संकल्प पर तभी कार्रवाई की जाएगी, जब अधिकांश सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) द्वारा निकास (एग्जिट) के ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में मत डाले गए हों;

(ग) असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) पर मिलने वाली कीमत निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) [जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार तय की गई हो, जो भी लागू हो] और असूचीबद्धता हेतु अतिरिक्त प्रीमियम [जिसका औचित्य अर्जनकर्ता (एक्वायरर) / संप्रवर्तक (प्रोमोटर) द्वारा दिया जाए] के आधार पर निकाली जाए;

(घ) सौंपें गए (टेंडर किए गए) शेयरों को मिलाकर निर्गम (इश्यू) के पश्चात् अर्जनकर्ता (एक्वायरर) / संप्रवर्तक (प्रोमोटर) की शेयरधारिता (अर्जनकर्ता / संप्रवर्तक के साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों की मिलाकर), उस वर्ग के कुल निर्गमित (जारी / इश्यू किए गए) शेयरों के पचहत्तर प्रतिशत तक पहुँच जाए और इस उप-विनियम के खंड (क) में यथा उल्लिखित बैठक की तारीख तक जितने सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) हों उनके कम से कम पचास प्रतिशत शेयर सौंपे जा चुके हों और जिन्हें स्वीकार कर लिया गया हो; और

(ङ) वह (वे) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऐसे निकास (एग्जिट) को मंजूरी प्रदान कर दे (दें), जहाँ उसके शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।”

VII. विनियम 292 में, मौजूदा उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(3) विनियम 292 के उप-विनियम (2) के तहत दी हुई शर्तों को पूरा न करने वाली कंपनी की पूँजी का पचास प्रतिशत, नियमित श्रेणी के तहत स्थानांतरण (माइग्रेशन) हेतु आवेदन किए जाने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स) के पास हो।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./51/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तत्पश्चात्-
 - (क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा
 - (ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा
 - (ग) 5 अप्रैल, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/08, द्वारा

- (घ) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/29, द्वारा
- (ङ) 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/35, द्वारा
- (च) 6 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/42, द्वारा
- (छ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/47, द्वारा
- (ज) 1 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/01, द्वारा
- (झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
- (ञ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/011, द्वारा
- (ट) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/17, द्वारा
- (ठ) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/18, द्वारा
- (ड) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/21, द्वारा
- (ढ) 28 सितम्बर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/31, द्वारा
- (ण) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/03, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 5th May, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/18.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -
 - I. In Regulation 282, -
 - i. in sub-regulation (3), the words “Institutional Trading Platform” shall be substituted with the words “Innovators Growth Platform”.
 - ii. after sub-regulation (3), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(4) If an issuer has issued SR equity shares to its promoters/ founders, the said issuer shall be allowed to make an initial public offer of only ordinary shares for listing on the Innovators Growth Platform subject to compliance with the provisions of this Chapter and continued compliance with the provisions for SR equity shares in accordance with sub-regulation (3) of regulation 6.”
 - II. in regulation 283, in sub-regulation (1), -
 - i. the words “two years” shall be substituted with the words “one year”.
 - ii. the clause (II) shall be omitted and the existing clauses (III) and (IV) shall be renumbered as (II) and (III), respectively.
 - iii. a new clause shall be inserted after the renumbered clause (III), namely, -

“(IV) Any other class of investors as specified by Securities and Exchange Board of India from time to time.”
 - iv. for the words “Accredited Investors”, wherever it occurs, the words “Innovators Growth Platform Investors” shall be substituted.
 - v. under Explanation (a), the following shall be inserted after point (ii), namely,-

“(iii) any family trust with net worth of twenty five crore rupees”.
 - vi. the existing Explanation (b) shall be substituted with the following, namely,-

“(b) Pre-issue capital held by promoters/promoter groups, even if they are registered as Innovators Growth Platform Investors, shall not be considered for the 25% pre-issue capital eligibility requirement specified under sub-regulation (1) of regulation 283.”
 - III. in regulation 283, in sub-regulation (2), the words “Institutional Trading Platform” shall be substituted with the words “Innovators Growth Platform”.
 - IV. in regulation 287, after the existing sub-regulation (3), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(4) The issuer may allocate up to sixty per cent of the issue size on a discretionary basis, prior to the issue opening, to eligible investors as identified under sub-regulation (1) of regulation 283, in accordance with the requirements with respect to anchor investors for public issue made on the SME exchange as specified in Part A of Schedule XIII:

Provided that the price of the specified securities offered to eligible investors shall not be lower than the price offered to other applicants.

Provided further that eligible investors shall make an application of a value of at least fifty lakh rupees.”

V. in regulation 288,

i. in sub-regulation (1), in the proviso, in clause (c), the words and symbols “or Category II” shall be inserted after the words and symbols “Category I”.

ii. after sub-regulation (4), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(5) The SR equity shares shall be locked-in till conversion into equity shares with voting rights similar to that of ordinary shares or shall be locked-in for a period specified in sub-regulations (1), whichever is later.”

VI. after regulation 290 and prior to regulation 291, the following new regulation shall be inserted, namely, -

“Exit of issuers whose securities are listed and trading on the Innovators Growth Platform pursuant to an initial public offer.

290A (1) The provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, in respect of the matters not specifically dealt or excluded under this regulation, shall apply *mutatis mutandis* to delisting of specified securities under these regulations:

Provided that the following provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 shall not apply:

- (a) clause (a) and (b) of sub-regulation (1) of regulation 8 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, relating to conditions and procedure for delisting where exit opportunity is required;
- (b) regulation 15 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, relating to offer price; and
- (c) regulation 17 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, relating to minimum number of equity shares to be acquired.

(2) An issuer company whose specified securities are traded on the Innovators Growth Platform pursuant to an initial public offer may exit from the Innovators Growth Platform, if -

- (a) such an exit is approved by the board of directors of the company in its meeting;
- (b) such an exit is approved by the shareholders of the company by a special resolution passed through postal ballot or e-voting, after disclosure of all material facts in the explanatory statement sent to the shareholders in relation to such resolution:

Provided further that the special resolution shall be acted upon only if the votes cast by the majority of public shareholders are in favor of such exit proposal;

- (c) delisting price is based on a floor price determined in terms of regulation 8 of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as may be applicable, and an additional delisting premium justified by the acquirer / promoter;
- (d) the post offer acquirer / promoter shareholding (along with the persons acting in concert with the acquirer / promoter), taken together with the shares tendered reaches seventy five per cent of the total issued shares of that class and at least fifty per cent shares of the public shareholders as on date of the meeting referred to in clause (a) of this sub-regulation are tendered and accepted; and
- (e) recognised stock exchange(s) where its shares are listed approves of such an exit.”

VII. in regulations 292, the existing sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely, -

“(3) A company not satisfying the conditions laid down under sub-regulation (2) of regulation 292, shall, as on date of application for migration under the regular category, have fifty per cent of its capital held by Qualified Institutional Buyers.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./51/2021-22]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -
 - (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
 - (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.
 - (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.
 - (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.
 - (e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.
 - (f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.
 - (g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.
 - (h) January 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.
 - (i) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (j) May 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.
 - (k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.
 - (l) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.
 - (m) July 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/21.
 - (n) September 28, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/31.
 - (o) January 08, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/03.